

भोपाल दिनांक 8-12/17

//आदेश//

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1/2/2008/नियम/चार दिनांक 18 जुलाई-2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 में निहित समयमान वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित उपयंत्री को प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रू. 9300-34800+ में रू. 4200 के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके नाम के समक्ष दर्शायी अवधि से प्रदान की जाती है:-

स.क्र.	कर्मचारी /अधिकारी का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
01	श्री संजय दुबे	18.06.2004	18.06.2014
02	श्री पी.सी.चौरसिया	08.03.1995	18.07.2008

सामान्य शर्तें-

- (1) समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2009/नियम चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- (2) समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

Rajiv Kumar Sukliker
(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल दिनांक 8/12/17 08-12

पृ.क्रमांक 3322800/45/पी-3/17/ 2724
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता,
- 2 अधीक्षण यंत्री _____
- 3 कार्यपालन यंत्री, ।
- 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।
- 5 संबंधित श्री उपयंत्री द्वारा स.क्र. - 03
- 6 बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट- संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय ।

Devi
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता

08-12